वेतन वार्ता समिति-वेज नेगोशियेटिंग कमिटी में गतिरोध क्यों?

डीओटी ने अपने पत्र सं. एफ.62-2/2016 - एसयू दिनांक 27 अप्रैल, 2018 से सीएमडी, बीएसएनएल को नोन एक्जीक्यूटिव्स के मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। डीओटी के इस निर्देश के आधार पर एक संयुक्त वेतन वार्ता समिति का गठन किया गया। संयुक्त वेतन वार्ता समिति में विस्तृत चर्चा के बाद, कर्मचारी पक्ष और प्रबंधन पक्ष के बीच सर्वसम्मति के माध्यम से नोन एक्जीक्यूटिव्स कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नए वेतनमान को संयुक्त वेतन वार्ता समिति में अंतिम रूप दिया गया।

Grade	Existing (Rs)	Revised (Rs)
NE-1	7760-13320	19000-45700
NE-2	7840-14700	19200-49900
NE-3	7900-14880	19300-53000
NE-4	8150-15340	19900-56300
NE-5	8700-16840	21300-59800
NE-6	9020-17430	22000-63500
NE-7	10900-20400	26600-69300
NE-8	12520-23440	30600-79600
NE-9	13600-25420	33200-86300
NE-10	14900-27850	36400-94500
NE-11	16370-30630	39700-104000
NE-12	16390-33830	39900-114800

इस संयुक्त वेतन वार्ता समिति का पुनर्गठन श्री एच.सी. पंत, समिति के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद किया गया था। हालाँकि, संयुक्त वेतन वार्ता समिति के पुनर्गठन के बाद प्रबंधन पक्ष ने कर्मचारी पक्ष के सदस्यों पर प्रस्तावित नए वेतनमान को संशोधित करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसे संयुक्त वेतन वार्ता समिति में सर्वसम्मति से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रबंधन पक्ष पेंशन योगदान के कारण होने वाले व्यय को कम करने की दृष्टि से नोन एक्जीक्यूटिव्स के सभी वेतनमानों के न्यूनतम और अधिकतम में कटौती करना चाहता है। एक्जीक्यूटिव अधिकारियों के वेतनमान को तीसरी पीआरसी द्वारा पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। बीएसएल प्रबंधन के पास अधिकारियों के वेतनमान में कटौती करने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसे में यह बहुत बड़ा अन्याय होगा कि प्रबंधन पेंशन अंशदान पर खर्च कम करने की आड़ में नोन एक्जीक्यूटिव्स के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान में कटौती करना चाहता है । नोन एक्जीक्यूटिव्स के पहले से सहमत वेतनमान की अधिकतम सीमा में कटौती करने से केवल "स्थगन" को एक बारहमासी समस्या बनाने में मदद मिलेगी। लिहाजा, संयुक्त वेतन वार्ता समिति में इस मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया है । कर्मचारी पक्ष के सदस्य उस वेतनमान में कटौती नहीं करना चाहते हैं जिसे प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच सर्वसम्मति से पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। अनुरोध है कि शीर्ष प्रबंधन इस मामले में हस्तक्षेप कर संयुक्त वेतन वार्ता समिति में प्रबंधन पक्ष के सदस्यों द्वारा बनाये गये गतिरोध को दूर कराये ।

(नेशनल काउंसिल की बैठक के लिए BSNLEU का मुद्दा)